

चौथी अनुसूची
(धारा 128 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, सभी प्रकार के क्रोमियम अयस्क और सांद्रों से संबंधित क्रम सं0 24 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।